राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांकः प. 5 (7)एम.ई./ग्रुप–1/2016 जयपुर, दिनांकः 15 MAR 2017

परिपत्र

पूर्व में जारी समस्त दिशा निर्देशों के अतिक्रमण में निजी क्षेत्र में फार्मेसी महाविद्यालय (डिग्री/डिप्लोमा) स्थापित किये जाने हेतु जारी करने के निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. **आशय पत्र जारी करने हेतु अर्हतायें**

प्रथम स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कर आशय पत्र दिया जावेगा। आशय पत्र के लिये आवेदक निर्धारित परिपत्र में आवेदन पत्र निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगें।

1.1 आशय पत्र हेतु आवेदन की पात्रता

नया फार्मेसी कॉलेज (डिग्री/डिप्लोमा) स्थापित करने की अनुमति के लिये निम्न आवेदन करने के पात्र होगेः–

1. राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र
2. विश्वविद्यालय
3. केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा अथवा विधान द्वारा समर्थित स्वायत्त निकाय जो आयुर्विज्ञान शिक्षा के प्रयोजन के लिये हैं।
4. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) अथवा राज्यों के तद्नुरूपी अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटियां अथवा।
5. न्यास अधिनियम 1882 (1882 का 2) अथवा अधिनियम 1954 (1954 का 29) के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक धार्मिक अथवा धर्मार्थ न्यास।
6. कम्पनी एक्ट के अध्ययधीन पंजीकृत कम्पनियां जो व्यवसायिक उददेश्य से कॉलेज की स्थापना नही करती हो

1.2 आशय पत्र हेतु प्रार्थना पत्र

फार्मेसी महाविद्यालय हेतु निर्धारित आवेदन पत्र निदेशालय चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से 500 रू. फीस राजकीय खातें में जमा करवाकर प्राप्त कर सकेगे।

1.3 आशय पत्र हेतु अर्हता मानदण्ड

आवेदक यदि निम्नलिखित शर्त पूरी करते है तो उन्हें निर्धारित प्रार्थना पत्र मय सम्बन्धित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर आशय पत्र जारी करने पर विचार किया जावेगा।

1. पैरा 1.1 अनुसार पात्रता रखते हो।
2. आवेदक के पास फार्मेसी महाविद्यलाय हेतु AICTE द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार शहरी क्षेत्र में 0.75 एकड एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2 एकड क्षेत्रफल का समूचा एक भूखण्ड का स्वामित्व और कब्जा हो या फिर 99 वर्ष का पट्टा हो।

आवेदन पत्र के साथ निम्न सूचनायें आवश्यक रूप से लगानी होगी–

1. संस्था के बाईलॉज/मेमोरेण्डम एवं संस्था के अनुच्छेद ट्रस्ट डीड इत्यादि की सत्यापित प्रति सुपाठ्य सुसंगत हो।
2. पंजीयन की सत्यापित प्रति।
3. पिछले तीन (3) वर्ष की अंकेक्षित बैलेस शीट।
4. भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी सत्यापित प्रति।

5. भूमि के साइट प्लान/जोनिंग प्लान की सत्यापित प्रति।
6. भूमि को अकृषि कार्य हेतु उपयोग में लेने सम्बन्धी सक्षम प्राधिकारी का अनुमति पत्र।
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें विशेष तौर पर महाविद्यालय के विकास का रोड मेप व वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था का पूर्ण उल्लेख हो।
8. राज्य सरकार के पत्राचार करने तथा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत अधिकारी/व्यक्ति के सम्बन्ध में सोसायटी द्वारा पारित प्रस्ताव।
9. महाविद्यालय स्थापित करने का औचित्य एवं आवश्यकता।
10. आवेदन के साथ फार्मेसी कॉलेज की लिये 20,000/– रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा के नाम अथवा निदेशालय के बजट हैड में चालान के माध्यम से आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराना होगा। यह राशि किसी भी अवस्था में वापिस नहीं होगी।

1.4 **आशय पत्र जारी किया जाना।**

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के 45 दिन के भीतर यदि प्रार्थी समस्त शर्ते पूरी करता है तो उसे निर्धारित प्रपत्र में आशय पत्र जारी किया जावेगा। आशय पत्र जारी होने के एक वर्ष के अन्दर–अन्दर प्रार्थी AICTE के निर्धारित मापदण्डों अनुसार भवन चिकित्सालय व अन्य आधारभूत सुविधाये स्थापित करनी होगी। जब आधारभूत ढ़ांचा बनकर तैयार हो जाऐ तो प्रार्थी राज्य सरकार को लिखित में सूचना प्रस्तुत करेंगा। यदि एक वर्ष में आधारभूत ढ़ांचा तैयार नहीं हुआ तो आशय पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

2. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अर्हतायेः–

2.1 आधारभूत ढ़ाचें की पूर्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर राज्य सरकार एक निरीक्षण समिति का गठन करेगी जो प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना का भौतिक सत्यापन 15 दिन में करके रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।'' समिति की रिपोर्ट पर निम्न विभागीय समिति आवेदक/संस्था को फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिये जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी सिफारिश पर विचार करेगीः–

1.	प्रमुख शान सचिव/शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा	अध्यक्ष
2.	डीन, फार्मेसी, आर0यू0एच0एस0, जयपुर	सदस्य
3.	निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	सदस्य
4.	वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	सदस्य
5.	विशेषाधिकारी, तकनिकी शिक्षा विभाग	सदस्य
6.	सुंयक्त शासन सचिव शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग	सदस्य सचिव

2.2 उपरोक्त समिति अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी निम्न तथ्यों पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगीः–

2.3 आवेदक ने AICTE द्वारा निर्धारित आधारभूत ढ़ाचें सम्बन्धी मापदण्डों की पूर्ति कर ली है व निरीक्षण समिति ने इसे सत्यापित कर लिया है।

2.4 आवेदक प्रस्तावित फार्मेसी महाविद्यालय के लिये AICTE द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक आधारभूत संरचनात्मक सुविधायें सहित स्वामित्व रखता है और प्रबंधन करता है और शिक्षण संस्था के रूप में विकसित करने की क्षमता रखता है।

2.5 प्रार्थी फार्मेसी महाविद्यालय(डिग्री/डिप्लोमा) स्थापित करने हेतु वित्तीय तौर पर सक्षम हैं।

प्रार्थी द्वारा अण्टरटैकिंग प्रस्तुत कर दी है किः–

(i) AICTE से अनुमति प्राप्त होते ही वह निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति करेगा।

(ii) AICTE की अनुमति प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से सम्बद्धाता प्राप्त होने के पश्चात ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधार्थियों को प्रवेश देगा।

2.6 समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

3. यदि कोई संस्था फार्मेसी महाविद्यालय (डिग्री/डिप्लोमा) पाठ्यक्रम को बन्द करना चाहिती है तो AICTE द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं राज्य सराकर द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

15/3/17

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, AICTE.
6. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज।
7. रजिस्ट्रार, फार्मेसी कॉन्सिल, राज0 जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

महेश 15/3/17

(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव